न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

बइजलास सत्यवीर यादव आरएएस

प्रकरण सं. 03/2017/251–ए आरटीएक्ट

चुनाराम पुत्रश्री चिमनाराम उम्र 73 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम सेसम तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

प्रार्थी

ब ना म

1. रामदेवाराम
2. भगवानाराम
3. केशर मल

पुत्रगण धन्नाराम

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम सेसम तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

4. खींवाराम रेवाड़ पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी सेसम तहसील दांतारामगढ जिला सीकर हाल आबाद प्लाट नं0 206, भारतेंदु नगर, खातीपुरा रोड़ जयपुर –302012
5. भंवरीदेवी पुत्री धन्नाराम एवं पतासीदेवी पत्नी लिखमाराम रणवां जाति जाट नि0 भिराणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
6. सोहनीदेवी पुत्री धन्नाराम एवं पतासी देवी पत्नी बोदूराम रणवां जाति नि0 भिराणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
7. बरजीदेवी पुत्री धन्नाराम एवं पतासी देवी पत्नी मोहनराम जाति जाट नि0 दीपपुरा तहसील धोद जिला सीकर
8. किशनीदेवी पुत्री धन्नाराम एवं पतासी पत्नी लादूराम जाति जाट नि0 दीपपुरा तहसील धोद जिला सीकर
9. पंजाब नेशनल बैंक शाखा लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
10. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
11. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

– अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–

1. श्री शिवपालसिंह वकील प्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक– 18.04.2017

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंचने के लिए अप्रार्थीगण सं. 1 ता 8 की कृषि भूमि जिसका विवरण नीचे दिया गया है के अनुसार पूर्व में हमारा पीढियों से रहा रास्ता कटान में करवाना चाहता हूं। अतः उक्त

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

रास्ते के सम्बन्ध में आज्ञा जारी करने के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–ए की उपधारा (2) के अन्तर्गत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता हूं। आवेदक को अपने उक्त खेत में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण सं. 1 ता 8 की भूमि खसरा नं. 459 रकबा 3.26 है. की उतरी सीमा के सहारे सहारे खसरा नं. 456 की दक्षिणी सीमा तक 5 मीटर चौड़ा रास्ता कायम करवाना चाहता हूं। चाहे गये रास्ते का अंकन संलग्न नक्शा ट्रेश में मार्क ए से बी से दर्शाया गया है। चाहे गये रास्ते के अलावा आवेदक के पास वैकल्पिक रास्ता मौके पर नहीं है। आवेदक को अपने खेत में पहुंचने हेतु अनावेदक सं. 1 ता 8 की भूमि में से बताये गये उपरोक्त विवरण के रास्ते की पूर्ण आवश्यकता है। उक्त रास्ता सुगम व निकटतम है व धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है। इश्तदुआ करता हूं कि मेरी खातेदारी की भूमि खसरा नं. 456 तन ग्राम सेसम तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के उपयोग व उपभोग हेतु वांछनीय एकमात्र रास्ता सुगम व नजदीक है जो खसरा नं. 459 रकबा 3.26 है0 की उतरी सीमा के सहारे सहारे मार्क ए से बी 5 मीटर चौड़ा रास्ता दिलाने की कृपा करें। आवेदक को अपने खेत में आवागमन एंव पशुधन लाने ले जाने की निरंतर व दिन प्रतिदिन आवश्यकता बनी रहती है तथा इस रास्ते के अलावा आवेदक की कृषि भूमि में आवागमन का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा रास्ता में आने वाली कृषि भूमि की प्रतिकर राशि अदा करने हेतु आवेदक तैयार है। इसलिए भूमि खसरा नं. 459 में से रास्ता में आने वाली भूमि को निर्वापित कर रास्ता के रूप में दर्ज किया जाना प्रार्थनीय हे। खातेदार पतासीदेवी बेवा धन्नाराम फौत हो चुकी है जिनके विधिक वारिसान अप्रार्थीगण सं. 1 ता 8 है। अप्रार्थी सं. 9 व 10 को रहनग्रहिता के रूप में एवं अप्रार्थी सं. 11 को भूमिधारी होने के कारण औपचारिक पक्षकार बनाया गया है। अतः आवेदन पेश कर निवेदन है कि आवेदक का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम सेसम प.मं. भगतपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नं. 459 रकबा 3.26 है. में आवेदक के संलग्न नक्शा ट्रेश में दर्शित मार्क ए से बी जो खसरा नंबर 459 की उतरी सीमा के सहारे सहारे खसरा नंबर 466 सिवायचक रास्ते से लेकर खसरा नंबर 459 में से उतरी सीमा के सहारे सहारे खसरा नंबर 456 की दक्षिणी सीमा तक 5 मीटर चौड़ा रास्ता में आने वाली भूमि की प्रतिकर राशि तय करके अनावेदकगण सं. 1 ता 8 को दिलायी जाकर रास्ता में आने वाली भूमि को निर्वापित करके रास्ता को राजस्व रिकार्ड में रास्ता के रूप में दर्ज कर अलग खसरा नबंर डालकर राज्य सरकार के पक्ष में दर्ज करने का आदेश प्रदान करनें की कृपा करें। आवेदन के साथ नकल जमाबंदी, नक्शा ट्रेश ग्राम ~~सांवलपुरा~~ प.मं. ~~अलोदा~~ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की पेश की गई है।

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

आवेदन पेश होने पर आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं उप तहसीलदार, लोसल से मौका रिपोर्ट एवं उप पंजीयक, लोसल से डीएलसी दर चाही गई। अप्रार्थी सं. 1 ता 11 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। उप तहसीलदार, लोसल ने पत्रांक 265/राजस्व/2017 दिनांक 07.04.2017 द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई। उप तहसीलदार, लोसल ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रार्थी चुनाराम पुत्र चिमनाराम जाति जाट सा. ग्राम सेसम तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के द्वारा आवेदन अं. धारा 251–ए आरटी ऐक्ट के तहत रास्ता चाहा गया है। प्रकरण का मौका निरीक्षण किया गया। मौके पर उक्त आवेदक की भूमि पर जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। आवेदक के भूमि खसरा नं. 456 में जाने के लिए खसरा नं. 459 में से 63 मीटर लम्बाई तथा 5 मीटर चौड़ाई का रास्ता की भूमि की आवश्यकता है। जिसकी 63 मीटर **X** 5 मीटर यानि कुल 0.0315 है0 भूमि रास्ते हेतु बनती है। उक्त भूमि की डीएलसी दर 326490 रूपये प्रति है. से उक्त भूमि की कीमत 10,300 रूपये बनती है जिसकी दुगुनी राशि 20,600 रू. मालियत होती है।

3. बहस प्रार्थी के योग्य अभिभाषक की एकपक्षीय सुनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए बहस के दौरान कथन किया कि आवेदित रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है उक्त रास्ता दिये जाने में नियमानुसार राशि का भुगतान पक्षकारान को किया जायेगा।

4. हमने उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं उप तहसीलदार लोसल के पत्रांक 265/राजस्व/2017 दिनांक 07.04.2017 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व उप पंजीयक लोसल द्वारा प्रस्तुत डीएलसी दर का अवलोकन किया गया। उप तहसीलदार, लोसल ने रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रकरण का मौका निरीक्षण किया गया। मौके पर उक्त आवेदक की भूमि पर जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। आवेदक के भूमि खसरा नं. 456 में जाने के लिए खसरा नं. 459 में से 63 मीटर लम्बाई तथा 5 मीटर चौड़ाई का रास्ता की भूमि की आवश्यकता है। जिसकी 63 मीटर **X** 5 मीटर यानि कुल 0.0315 है0 भूमि रास्ते हेतु बनती है। उक्त भूमि की डीएलसी दर 326490 रूपये प्रति है. से उक्त भूमि की कीमत 10,300 रूपये बनती है जिसकी दुगुनी राशि 20,600 रू. मालियत होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थी के खेत ख.नं. 456 वाके ग्राम सेसम प.मं भगतपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में आने जाने के लिए उपरोक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा उक्त राशि खातेदारों के हिस्से अनुसार देय है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी को अपने खेत ख.नं. 456. में

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

आने जाने हेतु आवेदित रास्ता दिया जाना उपयुक्त प्रतीत होता है। अतः आदेश है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–ए के अधीन प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख.नं. 456 वाके ग्राम सेसम प.मं. भगतपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में आने जाने के लिए ग्राम सेसम प.मं. भगतपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित भूमि मुताबिक जमाबंदी संवत् 2072–75 के अनुसार ख.नं. 459 कुल रकबा 3.26 है0 में से 63 मीटर लम्बाई व 5 मीटर चौड़ाई यानि 0.0315 है0 भूमि का कुल मुआवजा राशि डीएलसी दर 326490 रू. प्रति है. से उक्त आवेदित भूमि की कीमत 10,300/– रू. की दुगुनी राशि 20,600 रू. प्रार्थी द्वारा तहसील दांतारामगढ में राशि जमा करवाने पर सम्बन्धित खातेदार व वारिसान के नाम हिस्से अनुसार राशि की गणना कर डीडी बनवाकर सम्बन्धित खातेदार एव उनके वारिसान को भुगतान हेतु सम्बन्धित भू0अ0निरीक्षक को अधिकृत किया जाता है। ग्राम सेसम प.मं. भगतपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित खसरा नं. 459 में से 63 मीटर लम्बाई **X** 5 मीटर चौड़ाई = 0.0315 है0 यानि 315 वर्गमीटर को सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग किये जाने हेतु सिवाय चक गै.मु. रास्ता के रूप में कायम किये जाने हेतु उप तहसीलदार, लोसल जिला सीकर को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि को सिवाय चक गैर मु. रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर नियमानुसार राजस्व अभिलेख जमाबंदी में अंकन व नक्शे में तरमीम करवाकर नियमानुसार राजस्व अभिलेख में रकबा व लगान का अंकन किया जावें। तद्नुसार तहरीर जारी हो। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यवीर यादव)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner